उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-28/2019/एस-2-530/दस-2019-एन0एम0-01/2019

लखनऊ :: दिनॉक: 18 मार्च, 2019

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक श्री राज्यपाल, उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा हेतु सृजित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहॉपुर के वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त वियंत्रक के पद का अतिरिक्त प्रभार नियमित तैनाती/अग्रिम आदेशों तक संबंधित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, को प्रदान किया जाता है, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन व भत्ते आदि देय नहीं होगें।

अजय कुमार शुक्ला
सचिव।

<u>संख्या-28/2019/एस-2-530(1)/दस-2019,तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहॉपुर।
5- प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहॉपुर।
6- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहॉपुर।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश बिन्दु)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।